न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 89 / 2021, 75 एल.आर.एक्ट

1— विमला पत्नि शांतिस्वरूप बउम्र 80 वर्ष जाति महाजन निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2— सुरेश पुत्र शांतिस्वरूप बउम्र 55 वर्ष जाति महाजन निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3— राधेश्याम पुत्र सीताराम बउम्र 80 वर्ष जाति महाजन निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़। ——अपीलांट

बनाम

1— तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

2— विजय कुमार पुत्र श्री मेघराज जाति अग्रवाल निवासी रॉयल सिटी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़। ——रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध
निर्णय सहायक कलैक्टर, हनुमानगढ़ दिनांक 16.06.2021

उपस्थितिः—

1. श्री राजेशदीप राय अभिभाषक, अपीलार्थीगण
2. श्री ललित शर्मा अभिभाषक, प्रत्यर्थी सं0 1
3. राजकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी सं0 2

निर्णय दिनांकः— 25.06.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:19 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण [illegible] ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 [illegible] तहसीलदार [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 [illegible] 2 / अपीलांट संख्या 1 [illegible] की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 50 एनजीसी के खाता संख्या 138 / 126

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

में पत्थर नम्बर 126/253 (39) किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 126/254 (45) किला नम्बर 3/.002, 4, 5, 6/2/.0306, 7/2/.0306 कुल 1.075 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रार्थी संख्या-3/अपीलांट संख्या-3 के नाम इसी चक के पत्थर नम्बर 125/254 (44) किला नम्बर 5, 6/1/.017, पत्थर नम्बर 126/254 (45) किला नम्बर 2/1/.202, 3/.251, 6/1/.222, 7/1/.222, 8, 9/1/.0044, 14, 15/1/.025, 13/1/.2365 कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या-2/रेस्पोडेंट संख्या-2 के नाम से चक 50 एनजीसी के खाता संख्या 135/150 के पत्थर नम्बर 126/253 (39) किला नम्बर 16, 23/1/.007 कुल तादादी .260 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्वी सींव पर 16½ फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृतशुदा है लेकिन पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16, 25 में पूर्वी ओर रास्ता की भूमि पर लगभग 30-35 फुट गहराई में गहरे खड्डे हैं तथा बारिस के दिनों में उक्त खड्डों में पानी भरा रहता है। उपरोक्त रास्ता से आवागमन नहीं हो सकता। किला नम्बर 16 व 25 के पूर्वी ओर स्थित मुरब्बा खाली पड़ा है जिसमें भी गहरे खड्डे हैं तथा पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16 व 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता में ऊंट-गाडा अथवा वाहन व पैदल किसी भी प्रकार से आवागमन नहीं हो सकता। प्रार्थीगण/अपीलांट पत्थर नम्बर 126/254 में अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16, 25 में पूर्वी सींव से 55 फुट दूरी पर पश्चिम की ओर आवागमन करते आ रहे हैं। पत्थर नम्बर 126/253 का किला नम्बर 16 पूर्व में राजेन्द्र कौर का था जिसे अप्रार्थी संख्या-2/रेस्पोडेंट संख्या-2 ने खरीद कर लिया है व किला नम्बर 25 प्रार्थी संख्या 1 व 2/अपीलांट संख्या 1 व 2 का है जिसमें यह रास्ता स्थानान्तरित (Alter) करने में सहमत हैं लेकिन अप्रार्थी संख्या-2/ रेस्पोडेंट संख्या-2 पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16 में रास्ता स्थानान्तरित (Alter) करने में सहमत नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण/अपीलांट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु स्थानान्तरित (Alter) रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त परिस्थितियों में चक 50 एनजीसी के पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16 व 25 में पूर्वी सींव पर स्वीकृत रास्ता को पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16 में पूर्वी सींव से 55 फुट दूर पश्चिम की ओर 12.25 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बाई में व किला नम्बर 16 में उत्तरी-पूर्वी सींव पर 12.25 फुट चौड़ाई में व 55 फुट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पश्चिम की ओर लम्बाई में तथा किला नम्बर 25 में पूर्वी सींव से 55 फुट दूर पश्चिम की ओर 165 फुट लम्बाई में रास्ता स्थानान्तरित (Alter) किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त प्रकरण मात्र रास्ता स्थानान्तरण (Alter) करने का है जिससे राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश पारित कर दिये। जिसके विरूद्व प्रार्थीगण/अपीलांट ने इस न्यायालय में यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्वी सींव पर 16---फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृतशुदा है लेकिन पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16 व 25 में पूर्वी ओर रास्ता की भूमि पर लगभग 30-35 फुट गहराई में खड्डे हैं तथा उपरोक्त रास्ते से आवागमन नहीं हो सकता तथा उक्त रास्ते से ऊंट गाड़ा, वाहन व पैदल किसी भी प्रकार से आवाजाही नहीं हो सकती तथा अपीलांट/प्रार्थीगण पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16 व 25 में पूर्वी सींव से 55 फुट दूरी पर पश्चिम की ओर से अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर रहे हैं। पत्थर नम्बर 126/253 का किला नम्बर 25 अपीलांट संख्या 1 व 2 का है तथा वे यह रास्ता स्थानान्तरित करने में सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की। उक्त रिपोर्ट में भी रास्ता शिफ्टिंग करने की अनुशंषा की गई है तथा रेस्पोडेंट संख्या-2 की सहमति दर्शायी गयी है। इसके अलावा रेस्पोडेंट संख्या-2 ने भी अपना जवाब प्रस्तुत कर उक्त रास्ता को शिफ्टिंग करने में सहमति दर्शायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में यह विवेचना की है कि कोई ठोस आधार नहीं होने की सूरत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है जो उक्त विवेचना कतई गलत है। तहसीलदार की रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में है तथा रेस्पोडेंट संख्या-2 ने रास्ता स्थानान्तरित करने में सहमति दी है तो इससे बड़ा ठोस आधार नहीं हो सकता। [illegible] किया कि इससे किसी भी व्यक्ति के कोई हित [illegible] नहीं [illegible] मुमकिन भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपीलांट [illegible] राजस्व [illegible]ण्डल, अजमेर द्वारा पारित [illegible] अपील/एल.आर./4536/ अपील/एल.आर./3226/2017/ [illegible] 2017/ हनुमानगढ़ व अपील/एल.आर./3008 /2017/ हनुमानगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2018 प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि शर्त संख्या-8

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

(2) राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कानूनी शर्तें) 1955 के तहत रास्ता स्थानान्तरित करने की अधिकारिता न्यायालय को है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेंट संख्या–2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट के कथनों का समर्थन किया तथा निवेदन किया कि अगर उसकी भूमि में से रास्ता स्थानान्तरित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है बल्कि वह सहमत है।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलोनी) 1955 शर्त संख्या 8 (2) मूलतः इस प्रकार हैः–

(2) सरकार या सामान्य जनता के लिए रास्ते के अधिकार का ससृजन करने या आरक्षित करने के अधिकार और ऐसी भूमि या उसके किसी भाग में से या आर पार जाने ववाली अर्न्तग्राम या ग्राम के अन्दर ऐसी सड़कों के संनिर्माण का अधिकार जो किसी एक बिन्दु पर चौड़ाई में 4 गट्ठे से ज्यादा चोड़ी पट्टी के उपर हो जिसके लिए कलक्टर समय समय पर लोक हित में (या लोगो या गॉव के लाभ के लिए या किसी सम्पति के अनुरक्षण) तथा परिरक्षण के लिए या सरकार में आरक्षित किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए वांछनीय समझे और लिखित में आदेश द्वारा निर्देश दे।

इस प्रावधान से स्पष्ट है कि कलेक्टर समय समय पर लाक हित में या लोगों के लाभ के लिए किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए जहां उचित समझे वहां लिखित में आदेश दे सकता है। कलक्टर के शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 8–11–73 से उपखण्ड अधिकारी को शक्तियां दी है।

इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित अपील/एल.आर./[illegible]/2017/हनुमानगढ़ व अपील/एल.आर./4536/ 2017/ हनुमानगढ़ व अपील/एल.आर. /3008 /2017/ हनुमानगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2018 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

भी यह प्रतिपादित किया गया है कि शर्त संख्या-8 (2) राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कानूनी शर्तें) 1955 के तहत रास्ता परिवर्तित करने की अधिकारिता न्यायालय को है।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर खारिज किया है कि कोई ठोस आधार नहीं है। जबकि तहसील की रिपोर्ट जिस पर अपीलार्थीण की सहमति व हस्ताक्षर है में रास्ता स्थानान्तरित करने की अनुशंषा की गई है व रेस्पोडेंट संख्या-2 ने भी अपीलांट के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए रास्ता स्थानान्तरित करने में सहमति दी है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से रास्ता स्थानान्तरित (Alter) करने के ठोस आधार हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के उक्त रास्ता स्थानान्तरित (Alter) नहीं करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 16.06.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शर्त संख्या-8 (2) राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कानूनी शर्तें) 1955 स्वीकार किया जाकर तहसील हनुमानगढ़ के चक 50 एनजीसी के पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16 व 25 में पूर्वी सींव पर स्वीकृत रास्ता को पत्थर नम्बर 126/253 के किला नम्बर 16 में पूर्वी सींव से 55 फुट दूर पश्चिम की ओर 12.25 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बाई में व किला नम्बर 16 में उत्तरी-पूर्वी सींव पर 12.25 फुट चौड़ाई में व 55 फुट पश्चिम की ओर लम्बाई में तथा किला नम्बर 25 में पूर्वी सींव से 55 फुट दूर पश्चिम की ओर 165 फुट लम्बाई में व 16½ फुट चौड़ाई में रास्ता स्थानान्तरित (Alter) किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। ... निर्धारित ... व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 25.06.21 को लिखाया ... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:19 IST
Reason: SelfAttested

25/6/21
(करतार सिंह पूनिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner